**JALAUN POLICE**

**दिनांक – 13.02.2025**

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।**

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

**प्रकरण प्रथम**– अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र पूरन सिंह नि0 ग्राम खरका थाना डकोर जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 06.03.2022 को थाना डकोर में मु0अ0सं0 27/2022 (वाद संख्या 18/22) धारा 452/354/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम ज्ञान सिंह पुत्र पूरन सिंह नि0 ग्राम खरका थाना डकोर जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 06.03.2022 को अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी थी। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 14.03.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 13.02.2025 को मा0 न्यायालय ए.डी.जे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त ज्ञान सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।